संख्या-119/2015/1893/41-2015-48 यो0/12 टी0सी0

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ,दिनांक 11 अगस्त,2015**

विषय- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण एवं पुनरीक्षित परियोजना के क्रियान्वयन सम्बन्ध में।

महोदय,

आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना (ताजगंज परियोजना) के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित किये गये आगणन रू0 141.18 करोड की परीक्षणोपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 25-10-2012 द्वारा रू0 136.49 करोड की लागत अनुमोदित की गयी। तत्क्रम में शासनादेश संख्या- 1501/41-2013-48 यो0/12 -टी0सी0-1 दिनांक 26-06-2013 द्वारा रू0 136.49 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- भारत सरकार की स्वीकृति पत्र दिनांक 30-04-2013 के माध्यम से ताज परियोजना हेतु रू0 24.551 करोड की लागत अनुमोदित की गयी। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सेक्टर के अन्तगर्त वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-1799/41 -2013-48 यो0/12, दिनांक 06-12-2013 रू0 108.4155 करोड की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 22.7942 करोड की स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

3- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2014 को ताजगंज परियोजना सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा में यह निर्णय लिया गया है कि विद्युत केबिल एच0पी0 लाईन व एल0टी0 लाइन की अण्डर ग्राउण्डिग के कार्य हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को कार्यदायी संस्था नामित कर दिया जाय, जिसके द्वारा अनुबन्ध के आधार पर उक्त कार्य मेसर्स टोरन्ट पॉवर लि0 से सम्पादित कराया जायेगा।

4- आगरा में ताजगंज वार्ड तथा ताजमहल को जाने वाले मुख्य मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण की योजना (ताजगंज परियोजना) के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित किये गये आगणन रू0 175.90 करोड की परीक्षणोपरान्त व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.09.2014 द्वारा रू0 167.92 करोड की लागत के अनुमोदन के क्रम में कर दी गयी है। इसके क्रम में शासनादेश संख्या-45/2454/41-2014-48 यो0/12, दिनांक 05.10.2014 विभाग द्वारा निर्गत किया गया।

http://srisanadesh.up.nic.in

5- ताजगंज परियोजना की प्रगति स्टेट लेवेल कमेटी की बैठक दिनांक 12.02.2015 में महाप्रबन्धक, उ0प्र0 निर्माण निगम लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु नवीन वास्तुविद् फर्म मेसर्स आरकोहम कन्सल्ट्सट प्रा0 लि0, नोएडा का चयन किया गया। परियोजना हेतु चयनित वास्तुविद् फर्म द्वारा विस्तृत कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवेल कमेटी के समक्ष दिनांक 28.04.2015 को किया गया। बैठक में उ0प्र0 निर्माण निगम द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन वास्तुविद् फर्म द्वारा तैयार की गयी विस्तृत कार्य योजना के आधार पर परियोजना के लागत में वृद्धि हो रही है।

6- कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलबध करायी गयी आख्या के अनुसार परियोजना की मूल स्वीकृति वर्ष 2013 की एस0ओ0आर0 दरों पर आधारित तथा पुनरीक्षित आगणन 2014 की एस0ओ0आर0, डी0एस0आर0 की दरों पर बनाया गया है जिस कारण मूल वृद्धि हुई है। मद वृद्धि एवं कुछ मदों की मात्राओं में वृद्धि हो जाने के कारण मूल लागत में वृद्धि हुई। जिन मदों के रेट एस0ओ0आर0 में उपलब्ध नहीं थे, उन मदों के रेट डी0एस0आर0 से लगाये गये थे।

7- दिनॉक 25.06.2015 को उ0प्र0 निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित आगणन पी0एफ0ए0डी0 को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें व्यय समिति के द्वारा इस योजना के पुनरिक्षित प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिय गये। व्यय वित्त समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित जिन कार्य मदों की दरें डी0एस0आर0 के आधार पर प्रस्तुत की गयी, उनकी आवश्यकता एवं औचित्य तथा लागत का उल्लेख करते हुए तथ्यात्मक विवरण के साथ ही परियोजना प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों तथा ग्रेनाइट स्टोन, स्टोन क्लेडिंग, कॉबल स्टोन फलोरिंग लैम्प-पोस्ट एवं ताजगंज विजिटर सेन्टर हेतु किये जाने वाली नवीन कार्यों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

8- उक्त के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजना में प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों यथा-कोबल स्टोन, रेड सैड स्टोन, व्हाइट सैड स्टोन, बोलार्ड लैम्प पोस्ट, फॉल्स सिलिंग, वॉल पैनलिंग, लैम्प पोस्ट लाईट आदि के कार्य कराये जाने का निर्णय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन लिया गया है:-

1- व्यय वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित परियोजना में प्रयुक्त विभिन्न उच्च विशिष्टियों/कार्यमदों के कार्यों के साथ ही सम्पूर्ण परियोजना की लागत रू0 19727.15 अनुमोदित की गयी है।

2- प्रस्तावित मार्गों के उच्चीकरण के पश्चात टोल आंकलित होने के दृष्टिगत सुचारू आवागमन हेतु प्रचलित नियमों तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अधीन वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।

3- प्रस्तावित मार्गों के उच्चीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात रोड सेफ्टी तथा मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता एवं अनुरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निर्माण एजेन्सी का उत्तरदायित्व होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु आंकलित लागत के अतिरिक्त अन्य सम्भावित मद, यदि कोई हो के लिए भी व्यवस्था का आंकलन विभाग द्वारा लिया जाय ताकि बाद में लागत में वृद्धि का अवसर न हो।

5- पर्यटन विभाग द्वारा अपने स्तर पर थर्ड पार्टी असिसमेन्ट के लिए संस्था का चयन किया जायेगा। थर्ड पार्टी द्वारा समस्त कार्यों का माइक्रो लेबल पर निरीक्षण किया जायेगा। फिल्ड लेबल कमेटी में थर्ड पार्टी की एक सदस्य के रूप में भागीदारी रहेगी।

6- परियोजना की लागत के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा दिये गये सुझावों/निर्देशों के अनुक्रम में कार्य किया जायेगा।

7- योजना का क्रियान्वयन मा0 न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

8- परियोजना के कार्योंपरान्त रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा सुदृढ व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
सचिव।

संख्या:119/2015/1893(1)/41-2015 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, आगरा।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
5- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, आगरा।
6- श्री राजाराम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को वेबसाइट पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in